न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1677/दो/2011 – विरूद्ध आदेश दिनांक 20.10.2004 – पारित व्दारा आयुक्त,चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 64/2000–01 अपील

1– रामनाथ 2– दुलीचन्द
3– किशोर 4– जगन्नाथ
सभी पुत्रगण नेनूराम
5– मु. शंकरी वेवा नेनूराम
6– कु. हीरा 7– कु. गोविन्दी
8– कु. कमला पुत्रियां नेनूराम
सभी निवासीगण श्योपुर कलॉ
तहसील व जिला श्योपुर कलॉ ----आवेदकगण

विरूद्ध

कन्हैयालाल पुत्र धूड़ीलाल
निवासी श्योपुर कलॉ
तहसील व जिला श्योपुर कलॉ ----अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के00के0द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 15 – X – 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 64/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.10.2004 के विरूद्ध म.प्र. भू राज. संहिता,1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कलॉ को आवेदन देकर बताया कि ग्राम बगवाज स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 520/1 मिन रकबा 6 वीघा पर शासकीय अभिलेख में आवेदकगण का नाम दर्ज है किन्तु मौके

पर उसका कब्जा चला आ रहा है एंव खेती कर रहा है। भूदान यज्ञ बोर्ड व्दारा नेनूराम के नाम बिना जांच किये पटटा कर दिया है जबकि इस भूमि से उसका कोई संबंध नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कलॉ ने प्रकरण क्रमांक 6/1991-92 अ 86 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 1-9-93 पारित करके पटटाग्रहीता नेनूराम (आवेदकगण) का पटटा निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर श्योपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 21/92-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.4.1995 से आवेदकगण की अपील निरस्त की गई एंव भूमि शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 64/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.10.2004 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि यह सही है कि ग्राम बगवाज स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 520/1 मिन रकबा 10 वीघा का पटटा नेनूराम को भूदान यज्ञ बोर्ड व्दारा दिया गया है, किन्तु यह पटटा नेनूराम को भूदान यज्ञ बोर्ड व्दारा उसके परिवार के भरण-पोषण हेतु दिया गया था, किन्तु इस पटटाग्रहीता ने 10 वीघा पटटे पर मिली भूमि को महिला गंगा पत्नि मोती को वर्ष 1992 में विक्रय कर दिया। कोई भी शासकीय पटटेदार , भले ही उसे भूमिस्वामी बनाया जा चुका हो,

म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (7-ख) के अनुसार कलेक्टर अथवा उससे अनिम्न श्रेणी के अधिकारी की अनुमति के बिना पटटे की भूमि का विक्रय नहीं कर सकता, जबकि शासकीय पटटेदार ने उक्तांकित भूमि बिना सक्षम अनुमति के विक्रय की है जिसके कारण अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कलॉ के आदेश दिनांक 1-9-93 को हस्तक्षेप योग्य नहीं मानते हुये भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 64/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.10.2004 से आवेदकगण की अपील निरस्त की है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 64/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.10.2004 विधिवत् पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर